फाइल नं0-71-1002(002)/28/2021

113/2023/I/367605/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 11 अगस्त, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ में ई-आफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-संख्या-एम0ई0/नजा0/23/398, दिनांक 26.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निदेशालय में ई लागू किये जाने हेतु निदेशालय वस्थाआफिस व्य- में बी0एस0एन0एल0 की लीज लाईन स्थापित कराये जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-63/2023/I/302225/2023-71-1002(002)/28/2021 , दिनांक 17.04.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों एंव सम्बद्ध चिकित्सालयों एंव निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण के वेतनादि एंव आवश्यक व्ययो के वहन हेतु राजस्व मद में कुल रू0 159777.02 लाख की धनराशि आपके निर्वतन पर रखी गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा 03-निदेशन 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 26.05.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण में ई-आफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निदेशालय में बी0एस0एन0एल0 की लीज लाईन स्थापित कराये जाने हेतु रू0 8,01,960/- की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा 16-व्यावसायिक मद में निर्वतन पर रक्षित धनराशि रू0 200.00 लाख में से रू0 4,81,176/ - (रू0 चार लाख इक्यासी हजार एक सौ छियत्तर मात्र) का अग्रिम भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (लेखा) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप-संख्या- 17/2017/ ए- 1-1027/ दस- 2017-10(55)/2017 , दिनांक 15 नवम्बर , 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक- 25.10.1983 , 10.06.2011 तथा 18.09.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समयोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
3. अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2024 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ो में समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को अवगत कराया जायेगा।
4. धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।
5. धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जायेगा।
6. आगामी प्रस्ताव उपलब्ध कराते समय अब तक अग्रिम के रूप में स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-63/2023/I/302225/2023-71-1002(002)/28/2021 , दिनांक 17.04.2023 में उल्लिखित शर्ते यथावत् रहेगी।प्रतिबन्ध/

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in